ए.

हरिहरण एंड ओआरएस. वी.

हर्ष वर्धन सिंह राव और ओआरएस। (2022 की सिविल अपील संख्या 9228)

बी.

14 दिसंबर, 2022

[एस**.** अब्दुल नजीर और अभय एस**.** ओका**,** जे**.** जे**.]**

सेवा कानून:वरिष्ठता-7 सितंबर 2016 को, गुजरात क्षेत्र के संवर्ग में आयकर निरीक्षकों की एक संशोधित वरिष्ठता सूची जारी की गई थी-उक्त सूची में, सी. जी. एल. ई. 2010 की सीधी भर्तियों को वर्ष के पदोन्नत लोगों के साथ जोड़ा गया था-सी. बी. डी. टी. द्वारा जारी स्पष्टीकरण के आधार पर, 13 फरवरी 2018 की एक संशोधित वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई थी-वर्ष की रिक्तियों के लिए नियुक्त प्रत्यक्ष भर्तियों को भर्ती वर्ष के पदोन्नत लोगों के साथ जोड़ा गया था।1 18 तक, प्रत्यक्ष भर्तियों ने 13 फरवरी 2018 की वरिष्ठता सूची को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की-विवादित फैसले द्वारा, 13 फरवरी 2018 की वरिष्ठता सूची को रद्द कर दिया गया और 7 सितंबर 2016 की वरिष्ठता सूची को बहाल कर दिया गया-स्पष्टीकरण में कहा गया है कि केवल वे प्रत्यक्ष भर्तियां जो भर्ती वर्ष 2009-2010 में पात्र और योग्य थीं, उन्हें 53 पदोन्नतियों के साथ जोड़ा जाएगा जिन्हें 29 जून 2009 की डी. पी. सी. के माध्यम से पदोन्नत किया गया था-इन पदोन्नतियों ने तत्काल अपील दायर की-आयोजित:विचार के लिए तैयार किए गए चार मुद्दे-चाहे भर्ती वर्ष एक वित्तीय वर्ष हो या कैलेंडर वर्ष-चाहे के. मेघचंद्र के मामले में इस न्यायालय का निर्णय असंगत हो या वैकल्पिक, चाहे उस पर पुनर्विचार की आवश्यकता हो-क्या इस मामले के तथ्यों में प्रत्यक्ष भर्तियों और पदोन्नतियों की अंतर-वरिष्ठता का निर्धारण एन. आर. परमार के मामले में निर्णय के अनुसार किया जा सकता है-क्या इस मामले के तथ्यों में, प्रत्यक्ष भर्तियों की भर्ती की प्रक्रिया उसी भर्ती वर्ष में शुरू हुई थी जिसमें रिक्तियां उत्पन्न हुईं-पांच माननीय न्यायाधीशों की बड़ी पीठ को भेजा गया मामला-13 जुलाई 2018 को दी गई अंतरिम राहत-13 जुलाई 2018 को खाली हुई-विवादित निर्णय को अंतिम परिणाम के अधीन प्रभाव दिया जाएगा।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

भारत संघ और अन्य बनामएन**.** आर**.** परमार और अन्य। **2012** में

(13) एससीसी 340:[2012] 13 एस. सी. आर. 555; के. मेघचंद्र ए

एच.

944

945

हरिहरण एंड ओआरएस. वी.हर्ष वर्धन सिंह राव और ओआरएस।

सिंह और ओआरएस**.** वी**.**निंगम सिरो और ओआरएस। **2020 (5)** एससीसी **689: [2019] 16** एससीआर **651;** मर्विन कॉटिन्डो और ओआरएस**.** वी**.**सीमा शुल्क कलेक्टर**,** बॉम्बे और अन्य। **[1966] 3** एस**.** सी**.** आर**. 600;** चंडीगढ़ में माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय बनाम पंजाब राज्य और अन्य। **2019 (12)** एससीसी **496: [2018] 13** एस**.** सी**.** आर**. 91;** अरविंदर सिंह बैंस बनाम राज्य

बी.

पंजाब और ओआरएस। 2006 (6) एससीसी 673:[2006] 2 पूरक।

एससीआर **886;** एम**.** सुब्बा रेड्डी और अन्र बनामए**.** पी**.** राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य। **2004 (6)** एससीसी **729:[2004] 1** पूरक।एससीआर **7;** भारत संघ और अन्य बनामएस**.** डी

गुप्ता और ओआरएस। 1996 (8) एससीसी 14:[1996] 2 एस. सी. आर. 471 संदर्भित है।

सी.

संदर्भित निर्णय

[2012] 13 एससीआर **555**

संदर्भित किया गया है

पैरा **5**

[2019] 16 एससीआर **651**

संदर्भित किया गया है

पैरा **8**

डी.

[1966] 3 एससीआर **600**

संदर्भित किया गया है

पैरा **11**

[2018] 13 एससीआर **91**

संदर्भित किया गया है

पैरा **11**

[2006] 2 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 886** पैरा **11 [2004] 1** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस**.** सी**.** आर**. 7** पैरा **19 [1996] 2** एस**.** सी**.** आर**. 471** पैरा **28** को संदर्भित करता है।

ई.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2022 की सिविल अपील No.9228।

2018 के विशेष सिविल आवेदन No.3212 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांकित 11.05.2018 के निर्णय और आदेश से।के साथ

एफ.

2022 की डायरी No.12422।

विक्रमजीत बनर्जी, ए. एस. जी., हुज़ेफा अहमदी, निधेश गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्तागण , सुश्री आस्था मेहता, सुश्री विशाखा, शाहरुख आलम, मिश्रा सौरभ, अनमोल चंदन, शशांक बाजपेयी, आयुष आनंद, सुघोश सुब्रमण्यम, अभिषेक सिंह, प्रशांत सिन्हा, सिद्धार्थ सिन्हा, राज बहादुर यादव, सुश्री पल्लवी सिंह, वी. के. वर्मा, सुश्री वृति गुजराल, तरुण वर्मा, रजत श्रीवास्तव, सुश्री जपनीत कौर, सुश्री रीता झा, सुश्री पल्लवी सिंह, समीर सिंह, सुश्री नीलम सिंह, डॉ. सुशील बलवाड़ा, जे. पी. एन. शाही, सुश्री जे. किरण, रामेश्वर प्रसाद गोयल, अधिवक्तागण उपस्थित दलों के लिए।

जी.

एच.

ए.

सत्यवी क्राम, सुश्री लेखा जी. वी., जीशान दीवान, श्रुतंजय भारद्वाज, जसीर आफताब, अधिवक्तागण हस्तक्षेप करने वालों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अभय एस**.** ओकेए**,** जे**.**

1. 2018 की विशेष अवकाश याचिका (सी) No.16161 में दी गई छुट्टी।2022 की विशेष अनुमति याचिका (सी) डायरी No.12422 दाखिल करने में देरी को माफ कर दिया जाता है और उक्त विशेष अनुमति याचिका में भी अनुमति दी जाती है।2. 2018 के एस. एल. पी. (सी) No.16161 से उत्पन्न सिविल अपील में, अपीलार्थियों जो मूल उत्तरदाता हैं, उनकी संख्या। 11 14 से गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष, उत्तरदाताओं द्वारा दायर भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका पर गुजरात उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा पारित 11 मई 2018 के फैसले और आदेश को चुनौती दी है।1 18 तक।

बी.

सी.

2018 के एस**.** एल**.** पी**. (**सी**) NO.16161** से बाहर आने वाले नागरिक आवेदनों के वास्तविक पहलू

डी.

3. कुछ तथ्यात्मक विवरणों पर ध्यान देना होगा।विवाद अंतर-वरिष्ठता पर पदोन्नतियों और प्रत्यक्ष नियुक्तियों के बीच एक विशिष्ट विवाद है।यहाँ, विवाद गुजरात राज्य में आयकर विभाग में निरीक्षकों के पदों के बारे में है।कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा 7 फरवरी 1986 और 3 जुलाई 1986 को कार्यालय ज्ञापन (संक्षेप में, 'ओम') जारी किए गए थे।दोनों ओ. एम. रिकॉर्ड करते हैं कि पदोन्नति और प्रत्यक्ष भर्तियों की अंतर-से-वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए कोटा के आवर्तन के सिद्धांत का पालन किया जाएगा।इसमें यह उल्लेख किया गया है कि जब सीधी भर्तियां उपलब्ध नहीं होती हैं, तो पदोन्नति प्राप्त करने वालों को वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे उस अंतिम पद के नीचे रखा जाएगा, जहां तक उपलब्ध होने वाली सीधी भर्तियों की वास्तविक संख्या के संदर्भ में कोटा के आवर्तन के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित करना संभव है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि सीधी भर्ती कोटा रिक्तियों को आगे बढ़ाया जाएगा और अगले वर्ष की संबंधित सीधी भर्ती रिक्तियों में जोड़ा जाएगा।यह भी प्रावधान किया गया है कि पिछले वर्ष की अग्रेषित रिक्तियों के लिए चुनी गई इन अतिरिक्त प्रत्यक्ष भर्तियों को उस वर्ष के

लिए कोटा के आवर्तन के आधार पर वरिष्ठता सूची में अंतिम प्रवर्तक या प्रत्यक्ष भर्ती, जैसा भी मामला हो, के नीचे रखा जाना चाहिए।इन दोनों ओ. एम. से पहले, 22 नवंबर 1959 को एक ओ. एम. था, जिसमें कोटा के आवर्तन के आधार पर सीधी भर्ती और पदोन्नति की वरिष्ठता तय करने का प्रावधान था।

ई.

एफ.

जी.

एच.

947

हरिहरण एंड ओआरएस. वी.हर्ष वर्धन सिंह राव और ओआरएस। [अभय एस. ओकेए, जे.] ए.

ए.

4. मामले के तथ्यों में, हम यहां ध्यान दे सकते हैं कि 1969 के प्रासंगिक भर्ती नियमों में प्रावधान किया गया था कि निरीक्षक के पदों पर विभागीय पदोन्नति और सीधी भर्ती का कोटा 2 होगाः1.इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि कोटा या रोटा और कोटा के आवर्तन का नियम उनकी अंतर-से-वरिष्ठता तय करने के लिए लागू होता है।7 फरवरी 2000 को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (संक्षेप में, 'डीओपीटी') द्वारा कार्यालय नोट जारी किया गया था।उक्त कार्यालय नोट द्वारा, यह निर्देश दिया गया था कि यदि परीक्षा रिक्ति वर्ष में आयोजित नहीं की जाती है, तो रिक्ति वर्ष की वरिष्ठता सीधी भर्तियों को नहीं दी जा सकती है।डी. ओ. पी. टी. द्वारा 3 मार्च 2008 को एक और स्पष्टीकरणात्मक ओ. एम. जारी किया गया था, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि जब अयोग्य रिक्तियों के खिलाफ नियुक्ति बाद के वर्षों में या तो सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा की जाती है, तो इस तरह से नियुक्त व्यक्तियों को पिछले वर्ष की वरिष्ठता नहीं मिलेगी।हालाँकि, उन्हें उस वर्ष की वरिष्ठता दी जानी चाहिए जिसमें उन्हें मूल आधार पर नियुक्त किया गया था।

बी.

सी.

5. 26 जून 2009 को, आयकर, अहमदाबाद के मुख्य आयुक्त ने विभागीय पदोन्नति समिति (डी. पी. सी.) की सिफारिशों के आधार पर पदोन्नति द्वारा आयकर निरीक्षकों के 53 पदों को भरा।20 नवंबर 2009 को एक पत्र के माध्यम से, मुख्य आयकर आयुक्त, अहमदाबाद ने 46 प्रत्यक्ष पदों (35 वर्तमान और 11 अग्रेषित) पर नियुक्तियां करने के लिए एक अनुरोध भेजा, जिसमें निर्धारित प्रारूप में विवरण शामिल था।डी. ओ. पी. टी. ने 15 जनवरी 2010 के पत्र द्वारा आयकर निरीक्षक के ग्रेड में 482 रिक्तियों के लिए एन. ओ. सी. प्रदान किया।तदनुसार, उसी तारीख के एक पत्र द्वारा, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने उक्त एन. ओ. सी. को

कर्मचारी चयन आयोग (एस. एस. सी.) के सचिव को भेज दिया।हालाँकि, भर्ती के लिए परीक्षा उसी वर्ष भर्ती वर्ष 2009-10 के लिए आयकर निरीक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए आयोजित नहीं की गई थी।तदनुसार, एस. एस. सी. ने संयुक्त स्नातक स्तर की परीक्षा, 2010 (संक्षिप्त, 'सी. जी. एल. ई.-2010') के संचालन के लिए अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित करके प्रक्रिया शुरू की।केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सी. जी. एल. ई.-2010 के लिए आयकर निरीक्षकों के 482 पदों की अस्थायी रिक्तियों का प्रस्ताव किया है।सी. जी. एल. ई.-2010 के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए 30 जनवरी 2010 को एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था।26 अप्रैल 2010 को, सी. बी. डी. टी. ने एस. एस. सी. को सूचित किया कि भर्ती वर्ष 2009-10 के लिए रिक्तियों को एस. एस. सी. सी. जी. एल. ई-2010 के माध्यम से चयन के लिए शामिल किया गया था।10 मई 2010 और 31 जुलाई 2010 को एस. एस. सी. द्वारा टियर-I और टियर-II के लिए परीक्षाएँ आयोजित की गईं। 27 अक्टूबर 2010 को, सी. बी. डी. टी. ने अंततः एस. एस. सी. को 846 रिक्तियों की पुष्टि की। उक्त पत्र को संबोधित करने से पहले, प्रमुख

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

आयकर आयुक्त, अहमदाबाद ने सीबीडीटी को सूचित किया कि गुजरात राज्य के लिए कुल 72 रिक्तियां ली जानी चाहिए।परिणाम 7 जनवरी 2011 को घोषित किया गया था और एस. एस. सी. ने कुल 822 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी।27 नवंबर 2012 को, संघ के मामले में इस न्यायालय का एक निर्णय

भारत और ओआरएस**.** वी**.N.R.Parmar** और ओआरएस। **1** का उच्चारण किया गया।यह न्यायालय

एक आकस्मिकता से निपटा गया जहां सीधी भर्तियों की रिक्तियों को भरने की मांग उसी भर्ती वर्ष में जारी की गई थी और भर्ती के लिए विज्ञापन उसी भर्ती वर्ष में प्रकाशित किया गया था जब रिक्तियां उत्पन्न हुई थीं, लेकिन परीक्षा उसी भर्ती वर्ष में आयोजित नहीं की जा सकी थी।इस

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ऐसे मामले में, प्रत्यक्ष भर्तियां उस भर्ती वर्ष में वरिष्ठता के हकदार होंगे जब मांग की गई थी और विज्ञापन जारी किया गया था।6. 25 मई 2014 को गुजरात राज्य के लिए आयकर निरीक्षकों की वरिष्ठता सूची का मसौदा जारी किया गया था और वरिष्ठता सूची के मसौदे के आधार पर 29 मई 2014 को अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई थी।इसके अलावा, 7 सितंबर 2016 को गुजरात क्षेत्र के संवर्ग में आयकर निरीक्षकों की एक संशोधित वरिष्ठता सूची जारी की गई थी।उक्त सूची में, सी. जी. एल. ई.-2010 की सीधी भर्तियों को वर्ष के पदोन्नत 2009-10 के साथ जोड़ा गया था।पदोन्नत उम्मीदवारों द्वारा उक्त वरिष्ठता सूची के खिलाफ कई अभ्यावेदन किए गए थे।17 जनवरी 2018 को, सी. बी. डी. टी. ने एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि जहां तक पदोन्नत अधिकारियों के साथ सी. जी. एल. ई.-2010 की सीधी भर्तियों की अंतर-वरिष्ठता तय करने का संबंध है, सीधे भर्तियों को 3 जुलाई 1986 और 4 मार्च 2014 को जारी ओ. एम. के अनुसार उसी भर्ती वर्ष के पदोन्नतियों के साथ जोड़ा जा सकता है।उक्त स्पष्टीकरण सीबीडीटी द्वारा आयकर के सभी प्रधान मुख्य आयुक्तों को सूचित किया गया था। उक्त स्पष्टीकरण के आधार पर 13 फरवरी 2018 को एक संशोधित वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई थी।उक्त वरिष्ठता सूची के अनुसार, वर्ष 2009-10 की रिक्तियों के लिए भर्ती की गई सीधी भर्तियों को भर्ती वर्ष 2010-11 के पदोन्नतियों के साथ जोड़ा गया था।उत्तरदाता सं।1 सीधे भर्ती किए गए 18 लोगों ने 13 फरवरी 2018 की उक्त वरिष्ठता सूची को चुनौती देने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की।रिट याचिका में 17 जनवरी 2018 के स्पष्टीकरण और 13 फरवरी 2018 की परिणामी वरिष्ठता सूची को दरकिनार करने का अनुरोध किया गया था।7 सितंबर 2016 की वरिष्ठता सूची को बहाल करने के लिए एक परिणामी प्रार्थना की गई थी।विवादित फैसले से 13 फरवरी 2018 की वरिष्ठता सूची को रद्द कर दिया गया और वरिष्ठता सूची को रद्द कर दिया गया

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

1 2012 (13) एससीसी 340 ए

एच.

हरिहरण एंड ओआरएस. वी.हर्ष वर्धन सिंह राव और ओआरएस। [अभय एस. ओकेए, जे.] ए.

7 सितंबर 2016 को इस स्पष्टीकरण के साथ बहाल किया गया था कि केवल वे सीधी भर्तियां जो भर्ती वर्ष 2009-10 में योग्य और योग्य थीं, उन्हें 53 पदोन्नतियों के साथ जोड़ा जाएगा जिन्हें 29 जून 2009 को डी. पी. सी. द्वारा पदोन्नत किया गया था।

7. 13 जुलाई 2018 को विशेष अनुमति याचिका सं.16161 2018 का वर्ष जो वर्तमान सिविल अपील का विषय है और एक अंतरिम आदेश द्वारा उस तिथि की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया था।वे अपीलार्थियों जो उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में प्रतिवादी थे, वे पदोन्नत हैं जिन्हें 29 जून 2009 को डी. पी. सी. द्वारा पदोन्नत किया गया था।

बी.

संक्षिप्त में प्रस्तुतियाँ

सी.

8. अपीलार्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री हुज़ेफा अहमदी ने सबसे पहले विद्वान कि एन. आर. परमार 1 के मामले में इस न्यायालय के फैसले को तीन माननीय न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ ने खारिज कर दिया है।

के. मेघचंद्र सिंह और अन्य के मामले में इस न्यायालय के न्यायाधीश बनाम

निंगम सिरो और ओआरएस। 2 19 नवंबर 2019 को।हालाँकि, यह स्पष्ट किया गया था कि निर्णय संभावित रूप से लागू होगा।उनका निवेदन है कि एक भर्ती वर्ष एक कैलेंडर वर्ष है न कि एक वित्तीय वर्ष।विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि वर्तमान मामले में भर्ती के लिए विज्ञापन वर्ष 2009 में जारी नहीं विद्वान गया था और परीक्षा 2010 में आयोजित की गई थी।उन्होंने बताया कि एन. आर. परमार 1 के मामले में विज्ञापन उसी भर्ती वर्ष में जारी किया गया था जिसमें रिक्तियां पैदा हुई थीं।उन्होंने बताया कि 21 जनवरी 2010 को एस. एस. सी. को 2009-10 के लिए आयकर निरीक्षकों की 482 रिक्तियों के लिए एक अनुरोध भेजा गया था। हालाँकि, 22 नवंबर 2010 के अगले मांग पत्र में, जो सी. जी. एल. ई.-2010 के लिए था, 2009-10 की रिक्तियों (482) का उल्लेख किया गया था।यह मांग कुल 844 रिक्तियों के लिए की गई थी जिसमें भर्ती वर्ष 2010-11 की रिक्तियां भी शामिल थीं।एन. आर. परमार के मामले 1 में निर्णय के पैराग्राफ 33 में की गई टिप्पणियों के आधार पर, विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करेंगे कि उक्त निर्णय के संदर्भ में, किसी विशेष वर्ष के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्तियों की सूचना उसी वर्ष दी जानी चाहिए और भर्ती के लिए विज्ञापन भी उसी वर्ष प्रकाशित विद्वान जाना चाहिए।उन्होंने आग्रह किया कि वर्तमान मामले में इन सभी शर्तों को पूरा नहीं किया गया है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

9. के. मेघचंद्र 2 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने कहा कि अब इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से

2 2020 (5) एस. सी. सी. 689

एच.

950

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 9 एस सी आर।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रत्यक्ष भर्तियों की वरिष्ठता की गणना केवल नियुक्ति की तारीख से की जाएगी, न कि उस चरण से जब उनकी नियुक्ति के लिए अनुरोध भेजा गया था।विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी बताया कि सीबीडीटी ने 27 मई 2019 के पत्र में स्पष्ट विद्वान कि दिल्ली उच्च न्यायालय के बाद के फैसले को देखते हुए, एन. आर. परमार 1 के मामले में निर्णय को 27 नवंबर 2012 से संभावित रूप से लागू विद्वान जाएगा।विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी बताया कि जब वर्ष 2009 की रिक्तियों के लिए कोई विज्ञापन और कोई मांग जारी नहीं की गई थी, तो वर्ष 2009 की रिक्तियों को सी. जी. एल. ई.-2010 में जोड़ा गया था।इसलिए, विभिन्न भर्ती वर्षों में वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए चयनित उम्मीदवारों की सापेक्ष योग्यता निर्धारित नहीं की जा सकती है, इसका कारण यह है कि सी. जी. एल. ई.-2010 की केवल एक ही योग्यता सूची थी।उन्होंने यह भी बताया कि रिक्तियों की अंतिम स्थिति के बारे में एस. एस. सी. को पहली बार 27 अक्टूबर 2010 के पत्र द्वारा सूचित किया गया था।इसलिए, जिन सीधी भर्तियों को पिछले वर्ष के कोटे से सी. जी. एल. ई.-2010 के आधार पर भर्ती किया गया था, उन्हें वर्ष 2009 के पदोन्नतों के बीच नहीं रखा जा सकता है।उन्होंने कहा कि अब ग्यारह या बारह वर्ष बीतने के बाद वरिष्ठता को बाधित नहीं किया जा सकता है।

बी.

सी.

डी.

10. श्री निधेश गुप्ता, उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील।1 5, 7, 8, 10 से 13,15 से 18 और 29 से 39 तक सबसे पहले प्रस्तुत किया गया कि के. मेघचंद्र 2 के मामले में निर्णय भी उक्त उत्तरदाताओं (प्रत्यक्ष नियुक्तियों) के मामले की रक्षा करता है क्योंकि यह विशेष रूप से देखा गया है कि निर्णय संभावित रूप से लागू होगा और यह इस न्यायालय के निर्णय के आधार पर निर्धारित अंतर-से-वरिष्ठता को प्रभावित नहीं करेगा।

ई.

एन. आर. परमार 1 का मामला।

11. उन्होंने बताया कि के. मेघचंद्र 2 के मामले में इस न्यायालय ने कहा कि वरिष्ठता उस तारीख से नहीं दी जा सकती जब उम्मीदवार का जन्म कैडर में नहीं हुआ था।उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह कानून की एक अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि उक्त सिद्धांत तब लागू नहीं होता है जब दोनों श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के कोटे के आधार पर प्रत्यक्ष भर्तियों और पदोन्नतियों के बीच रिक्तियों के आवर्तन के अनुसार वरिष्ठता निर्धारित की जानी है।उन्होंने एक संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा किया

एफ.

यह न्यायालय मर्विन कॉटिन्डो और ओआरएस बनाम के मामले में है।कलेक्टर

जी.

सीमा शुल्क, बॉम्बे और अन्य **3.**उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त निर्णय में, न्यायालय ने वरिष्ठता तय करने की आवर्तन प्रणाली को बरकरार रखा।उन्होंने प्रस्तुत किया कि तीन माननीय न्यायाधीशों की पीठ का ध्यान, जिसने **K.Meghachandra 2** के मामले का फैसला किया, मर्विन कॉटिन्डो **3** के मामले में आमंत्रित नहीं किया गया था।

3 1966 (3) एससीआर 600 ए

एच.

951

हरिहरण एंड ओआरएस. वी.हर्ष वर्धन सिंह राव और ओआरएस। [अभय एस. ओकेए, जे.] ए.

इसलिए, वह प्रस्तुत करेंगे कि के. मेघचंद्र 2 के मामले में इस न्यायालय का निर्णय असंगत है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि वरिष्ठता तय करने की आवर्तन प्रणाली का उद्देश्य प्रतिभा को अनुभव के साथ जोड़ना और दक्षता में वृद्धि करना है।उन्होंने प्रस्तुत किया कि जैसा कि इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है

चंडीगढ़ में माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मामला

v. पंजाब राज्य और अन्य। **4,** वरिष्ठता का निर्धारण रोस्टर के आधार पर किया जाना चाहिए न कि किसी विशेष धारा में शामिल होने की तारीख के आधार पर।उन्होंने बताया कि अरविंदर के मामले में इस न्यायालय के फैसले में

बी.

सिंह बैंस बनाम पंजाब राज्य और अन्य। **5,** यह माना गया था कि बनाने

वरिष्ठता निर्धारित करने के आधार के रूप में शामिल होने की तारीख सरकार के विवेक और दुरुपयोग की संभावना को बढ़ावा देगी।इसका कारण यह है कि पदोन्नतियों की चयन प्रक्रिया प्रत्यक्ष भर्तियों की तुलना में कम होती है।इसलिए, प्रत्यक्ष भर्तियों के प्रति अन्याय को उन्हें प्रत्यक्ष भर्तियों से नीचे करके नहीं बढ़ाया जा सकता है।

सी.

12. उन्होंने 3 जुलाई 1986 के ओ. एम. से लेकर 13 अगस्त 2021 के ओ. एम. तक विभिन्न ओ. एम. पर भरोसा किया, जो स्पष्ट रूप से रिक्तियों के आवर्तन के अनुसार वरिष्ठता निर्धारित करने का प्रावधान करते हैं।विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत विद्वान कि हालांकि एक मामला बनाने की मांग की गई है कि एक भर्ती वर्ष एक कैलेंडर वर्ष है न कि एक वित्तीय वर्ष, यहां तक कि अपीलार्थियों ने भी इस आधार पर आगे बढ़े हैं कि यह वित्तीय वर्ष है।उन्होंने उस ओर से कई दस्तावेजों पर भरोसा किया।

डी.

ई.

13. उन्होंने प्रस्तुत किया कि वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक वर्ष वह वर्ष है जिसमें भर्ती की मांग भेजी जाती है।उन्होंने 20 नवंबर 2009 के पत्र की ओर इशारा किया जिसमें आयकर निरीक्षकों की मांग के लिए आवश्यक प्रारूप शामिल था जिसमें स्पष्ट रूप से 35 वर्तमान और 11 प्रत्यक्ष नियुक्तियों के रिक्त पदों को शामिल किया गया था।उन्होंने बताया कि एस. एस. सी. के सचिव को संबोधित बाद का पत्र 21 जनवरी 2010 का है जो भर्ती वर्ष 2009-10 में ही जारी किया गया था जिसमें 2009-10 की रिक्तियां शामिल थीं।यहाँ तक कि विज्ञापन भी भर्ती वर्ष 2009-10 में जारी किया गया था, क्योंकि यह 30 जनवरी 2010 को जारी किया गया था।इसलिए, वह प्रस्तुत करेंगे कि वर्तमान मामले में भर्ती वर्ष 2009-10 था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि 2009-10 और 2010-11 के लिए रिक्तियों का पृथक्करण पहले ही किया जा चुका है जैसा कि 7 सितंबर 2016 की वरिष्ठता सूची से स्पष्ट है।

एफ.

जी.

14. उन्होंने प्रस्तुत किया कि 7 फरवरी 1986 के ओ. एम. को लागू नहीं किया जा सकता है और यह तब लागू होगा जब पहले की परीक्षा या

4 2019 (12) एससीसी 496 5 2006 (6) एससीसी 673

एच.

चयन जो बाद में परीक्षा या चयन द्वारा किया जाता है।उन्होंने प्रस्तुत किया कि मामले के तथ्यों में, वर्ष 2009-10 में, प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए कोई परीक्षा या चयन आयोजित नहीं किया गया था।दिनांक 7 फरवरी 1986 के ओ. एम. में उपयोग की गई अभिव्यक्ति 'प्रत्यक्ष भर्ती उपलब्ध नहीं होती' का अर्थ है कि हालांकि चयन प्रक्रिया संबंधित वर्ष के दौरान आयोजित की जाती है, लेकिन उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं।

बी.

15. अंत में, उन्होंने बताया कि वास्तव में, तब से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष भर्तियों को पदोन्नत किया गया है।उन्होंने प्रस्तुत किया कि के. मेघचंद्र 2 के मामले में इस न्यायालय का निर्णय इनक्यूरियम के अनुसार है, जो मर्विन कोटिंडो 3 के मामले में एक बड़ी पीठ के बाध्यकारी उदाहरण के विपरीत है, एन. आर. परमार 1 के मामले में निर्णय प्रबल होगा।

सी.

16. श्री विक्रमजीत बनर्जी, आयकर विभाग और भारत संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत विद्वान कि डीओपीटी द्वारा 13 अगस्त 2021 को एक नया ओ. एम. जारी विद्वान गया है, जिसमें स्पष्ट विद्वान गया है कि के. मेघचंद्र 2 के मामले में निर्णय का संभावित संचालन होगा, एन. आर. परमार के मामले 1 में निर्णय की तारीख और के. मेघचंद्र के मामले 2 में निर्णय की तारीख के बीच की अवधि के दौरान प्रत्यक्ष भर्तियों और पदोन्नतियों की अंतर-से-वरिष्ठता के मामलों को बाधित नहीं विद्वान जाएगा।उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त ओ. एम. को ध्यान में रखते हुए, 27 नवंबर 2012 और 18 नवंबर 2019 के बीच शामिल हुए अधिकारियों के बीच अंतर-से-वरिष्ठता के मामले 7 फरवरी 1986 के ओ. एम. के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे, जिन्हें 4 मार्च 2014 के ओ. एम. के सहपठित पढ़ा जाएगा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि डीओपीटी के 13 अगस्त 2021 के ओ. एम. के अनुसार 26 अक्टूबर 2021 को एक विभागीय ओ. एम. जारी किया गया है।

डी.

ई.

17. उन्होंने कहा कि इस अपील में पारित यथास्थिति के आदेश के कारण आयकर विभाग प्रतिकूल रूप से प्रभावित है, क्योंकि आयकर अधिकारियों (आईटीओ) के 486 स्वीकृत पदों में से 162 रिक्त हैं।उन्होंने कहा कि इससे करदाताओं की सेवा काफी प्रभावित हुई है।उन्होंने कहा कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 109 आयकर निरीक्षकों को नियुक्त किए जाने की संभावना है।उन्होंने कहा कि आई. टी. ओ. के लिए डी. पी. सी. का आयोजन न करने का व्यापक प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि समूह 'सी' संवर्ग में पदोन्नति की संख्या कम है।उन्होंने प्रस्तुत किया कि यदि यह न्यायालय प्रश्न को एक बड़ी पीठ को भेजने के लिए इच्छुक है, तो अंतरिम

आदेश को स्पष्ट या खाली किया जा सकता है क्योंकि अंतरिम आदेश से विभाग का कामकाज वास्तव में प्रभावित होता है।

एफ.

जी.

18. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रत्युत्तर के माध्यम से प्रस्तुत विद्वान कि प्रत्यक्ष भर्तियों का चयन एस. एस. सी. द्वारा ए.

एच.

953

हरिहरण एंड ओआरएस. वी.हर्ष वर्धन सिंह राव और ओआरएस। [अभय एस. ओकेए, जे.] ए.

खुली परीक्षा जो प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है।इसलिए, एस. एस. सी. वित्तीय वर्ष के विपरीत कैलेंडर वर्ष का पालन करता है।उन्होंने कहा कि चूंकि 2009 में कोई भर्ती नहीं हुई थी, इसलिए 2010 की परीक्षा के परिणाम आगे बढ़े हुए उम्मीदवारों की वरिष्ठता का निर्धारण करेंगे।उन्होंने अपने इस तर्क के समर्थन में विभिन्न दस्तावेजों की ओर भी इशारा किया कि एक भर्ती वर्ष को कैलेंडर वर्ष के रूप में लेना होगा।

बी.

प्रस्तुतियों का समावेश

19. हमने प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है।विचार के लिए पहला मुद्दा यह है कि क्या के**.** मेघचंद्र के मामले **2** में इस न्यायालय का निर्णय इनक्यूरियम के अनुसार है या वैकल्पिक है**,** क्या इसके लिए मर्विन कोटिंदो **3** के मामले में संविधान पीठ के निर्णय और एम**.** सुब्बा रेड्डी और अन्य के मामले में तीन माननीय न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय के साथ टकराव में पुनर्विचार की आवश्यकता है।

सी.

एन**.** आर**.** वी**.**ए**.** पी**.** राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य **6.**अगला मुद्दा

यह मान लिया जाएगा कि एन. आर. परमार के मामले 1 में इस न्यायालय का निर्णय इसके संभावित अधिमूल्यांकन को देखते हुए खारिज कर दिया गया है, क्या इस मामले के तथ्यों में प्रत्यक्ष भर्तियों और पदोन्नतियों की अंतर-वरिष्ठता का निर्धारण एन. आर. परमार के मामले 1 में निर्णय के अनुसार किया जा सकता है।यह इस तथ्य के संदर्भ में है कि वरिष्ठता एन. आर. परमार 1 के मामले में निर्णय के बाद और 19 नवंबर 2019 से पहले तय की गई थी।

डी.

यानी जब के. मेघचंद्र के मामले **2** में निर्णय दिया गया था।द.

तीसरा मुद्दा यह तय किया जाना है कि भर्ती वर्ष वित्तीय वर्ष है या कैलेंडर वर्ष।अंत में, एक तथ्यात्मक मुद्दे पर निर्णय लेना होगा कि क्या इस मामले के तथ्यों में, सीधी भर्तियों की भर्ती की प्रक्रिया उसी भर्ती वर्ष में शुरू हुई थी जिसमें रिक्तियां पैदा हुईं थीं।

ई.

रिक्रूटमेंट वर्ष की अवधारणा

एफ.

20. मामले के तथ्यों में, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि जहां तक आयकर निरीक्षकों के पदों का संबंध है, रोटा और कोटा या कोटा के आवर्तन का सिद्धांत लागू होगा।आयकर निरीक्षकों के पदों को पहले से निर्धारित अनुपात में सीधी भर्तियों और पदोन्नतियों द्वारा भरा जा रहा है। इसलिए, एक रोस्टर लागू होगा जहां निर्धारित अनुपात के अनुसार सीधे भर्ती और पदोन्नति के लिए अंक होंगे।इससे पहले कि हम विभिन्न कानूनी मुद्दों में जाएं, जिन्हें हमने ऊपर चिह्नित किया है, यह उचित होगा कि हम पहले तथ्यात्मक मुद्दों पर चर्चा करें।तथ्यात्मक मुद्दों पर निर्णय के लिए यह तय करना आवश्यक है कि क्या भर्ती/मांग /

जी.

6 2004 (6) एस. सी. सी. 729

एच.

रिक्ति वर्ष वित्तीय वर्ष के समान होता है।अपीलार्थियों ने यह तर्क देने की कोशिश की है कि भर्ती वर्ष एक कैलेंडर वर्ष होगा।हमें यहाँ ध्यान देना चाहिए कि 2018 की विशेष अनुमति याचिका (सी) No.16161 से उत्पन्न सिविल अपील में ऐसा कोई मामला नहीं बनाया गया है।पृष्ठ एफ और जी के सारांश में, अपीलार्थियों ने स्वयं किसी विशेष वर्ष में उपलब्ध रिक्तियों का उल्लेख करते हुए वित्तीय वर्ष का उल्लेख किया है।अपीलार्थियों ने 25 नवंबर 2016 को एक अभ्यावेदन दिया जिसमें उन्होंने भर्ती वर्षों को वित्तीय वर्ष यानी 2009-10 और 2010-11 के रूप में वर्णित किया।आयकर निदेशालय, नई दिल्ली द्वारा 3 अगस्त 2016 को प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, अहमदाबाद को संबोधित पत्र में भर्ती वर्ष को वित्तीय वर्ष माना गया है।वास्तव में, इसमें आई. टी. जी. ओ. ए. द्वारा जारी एक स्पष्टीकरण शामिल है जो बदले में, इस आधार पर भर्ती वर्ष को संदर्भित करता है कि यह एक वित्तीय वर्ष है।अपीलार्थियों ने 2019 के

I.A.No.161060 में हलफनामे का जवाब देने के लिए 'अनुलग्नक पी-12' के रूप में संलग्न किया है, जो सीबीडीटी द्वारा आयकर के सभी प्रधान मुख्य आयुक्तों को 7 नवंबर 2014 को जारी किया गया एक स्पष्टीकरण है, जो 1986-87 से 2013-14 तक के रिक्त वर्षों को वित्तीय वर्षों के रूप में संदर्भित करता है।3 अगस्त 2010 के पत्र के साथ, मुख्य आयकर आयुक्त के कार्यालय ने निर्धारित प्रोफार्मा में 31 मार्च 2011 तक आयकर निरीक्षकों के पद में पुष्टि की गई रिक्तियों का विवरण सीबीडीटी को भेजा।निर्धारित प्रोफार्मा में, कॉलम 'वर्ष' (रिक्तियों का वर्ष) के तहत, वित्तीय वर्ष 2009-2010 और 2011-2012 का उल्लेख किया गया है। 35 आयकर निरीक्षकों की रिक्तियों को वर्ष 2009-10 के मुकाबले दिखाया गया है।निजी उत्तरदाताओं के जवाबी हलफनामे में, डी. ओ. पी. टी. द्वारा 8 मई 2017 को जारी ओ. एम. पर निर्भरता रखी गई है। उक्त ओ. एम. के पैराग्राफ 5 में विशेष रूप से दर्ज किया गया है कि 10 अप्रैल 1989,16 जून 2000 और 20 मई 2014 को जारी ओ. एम. के आंशिक संशोधन में, रिक्ति वर्ष को वर्ष 2018 से एक कैलेंडर वर्ष में स्थानांतरित किया जा सकता है, जहां वित्तीय वर्ष के आधार पर रिक्ति वर्ष का पालन किया जा रहा था।अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जहां तक आयकर निरीक्षकों के पदों का संबंध है, रिक्तता या भर्ती वर्ष को हमेशा वित्तीय वर्ष माना जाता था।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

21. अपीलार्थियों ने सी. जी. एल. ई.-2010 के विज्ञापन पर भरोसा किया है।हमने उक्त विज्ञापन का अवलोकन किया है।यह किसी विशेष भर्ती या रिक्ति वर्ष का उल्लेख नहीं करता है और यह दर्ज नहीं करता है कि परीक्षा किसी विशेष भर्ती वर्ष की रिक्तियों के लिए आयोजित की जा रही है या नहीं।रिलायंस को इस तथ्य पर भी रखा गया है कि सी. जी. एल. ई. को हमेशा कैलेंडर वर्ष के संदर्भ में संदर्भित किया जाता है न कि वित्तीय ए के संदर्भ में।

एच.

हरिहरण एंड ओआरएस. वी.हर्ष वर्धन सिंह राव और ओआरएस। [अभय एस. ओकेए, जे.] ए.

वर्ष।यह शायद ही कोई प्रासंगिकता है।एस. एस. सी. संबंधित विभाग की आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करता है।एस. एस. सी. किसी भी तरह से भर्ती वर्ष से संबंधित नहीं है।इसका काम संबंधित विभाग के निर्देशों के अनुसार भर्ती की प्रक्रिया का संचालन करना है।अभिलेख पर यह दिखाने के लिए सामग्री है कि आयकर विभाग ने हमेशा रिक्ति वर्ष या भर्ती वर्ष को वित्तीय वर्ष के रूप में माना है।

बी.

22. इसलिए, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्ष 2018 तक, आयकर निरीक्षकों के पदों पर भर्ती और रिक्तियों के संबंध में, वित्तीय वर्ष को भर्ती वर्ष या रिक्ति वर्ष के रूप में माना जा रहा था।

डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए रिक्रूटमेंट ईयर **2009-10** के लिए प्रक्रिया की घोषणा

सी.

23. मुख्य आयकर आयुक्त, अहमदाबाद द्वारा 20 नवंबर 2009 को सीबीडीटी के एक अधिकारी को संबोधित पत्र में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि सीधी भर्तियों के 35 रिक्त पद थे।आयकर निरीक्षकों के पद पर सीधी भर्ती के लिए एजेंसी एस. एस. सी. है। भारत सरकार ने 21 जनवरी 2010 को एस. एस. सी. के सचिव को एक पत्र संबोधित किया जिसमें कहा गया था कि सी. जी. एल. ई.-2009/10 के लिए लगभग 482 रिक्तियां उपलब्ध थीं।इस प्रकार, एस. एस. सी. को जारी की गई मांग वर्ष की 482 रिक्तियों को भरने के लिए थी।सी. जी. एल. ई.-2010 की सूचना 31 जनवरी 2010 को प्रकाशित की गई थी।आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 2 मार्च 2010 थी।अहमदाबाद के मुख्य आयकर आयुक्त द्वारा सीबीडीटी को संबोधित 3 अगस्त 2010 के पत्र में लिखा है कि 31 मार्च 2011 तक वर्ष 2009-10 के लिए सीधी भर्तियों के लिए 35 बैकलॉग रिक्तियां होंगी।इस पत्र में कहा गया था कि आयकर निरीक्षकों के पदों के लिए कुल 74 रिक्तियां थीं, जिनमें से 35 रिक्तियां वर्ष 2009-10 की थीं। ऊपर निर्दिष्ट 20 नवंबर 2009 के पत्र में इसी रिक्ति का उल्लेख किया गया है।अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेज स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि भर्ती वर्ष 2009-10 के लिए सीधी भर्ती के इन 35 पदों को 31 जनवरी 2010 को अधिसूचित सी. जी. एल. ई.-2010 के आधार पर भरने की मांग की गई थी, जो 16 मई 2010 को आयोजित किया गया था।सी. जी. एल. ई.-2010 के नोटिस में लिखा है कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 2 मार्च 2010 थी। विज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि आवेदकों को 2 मार्च 2010 को योग्य होना चाहिए, जो भर्ती/रिक्ति वर्ष 2009-10 के भीतर की तारीख है।इस प्रकार, तथ्यों पर, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि रिक्ति/भर्ती वर्ष 2009-10 के आयकर निरीक्षकों के 35 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया उसी वर्ष 2009 में शुरू हुई थी -10.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

956 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 9 एस. सी. आर.

N.R.PARMAR 1 और के**.** मेघचंद्र **2** के मामले

24. अब, हम एन. आर. परमार के मामले 1 में निर्णय की ओर मुड़ते हैं।इस न्यायालय ने पदोन्नत आयकर निरीक्षकों और प्रत्यक्ष भर्तियों के बीच अंतर-से-वरिष्ठता के मुद्दे पर विचार किया।जैसा कि निर्णय के पैराग्राफ 9 में उल्लेख किया गया है, विवाद वर्ष 1993-94 के लिए रिक्तियों से संबंधित था।पदोन्नति के रिक्त पदों को उसी वर्ष भरा गया था।एस. एस. सी. ने वर्ष 1993-94 के लिए सीधी भर्ती के पदों को भरने के लिए मई/जून 1993 में विज्ञापन जारी किया।हालांकि लिखित परीक्षा दिसंबर 1993 में आयोजित की गई थी, वाइवा-वॉयस अक्टूबर 1994 में आयोजित की गई थी।परिणाम जून 1995 में घोषित किया गया था और प्रत्यक्ष भर्तियां वर्ष 1995 में शामिल हुईं।प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि जिस तारीख को एस. एस. सी. ने प्रत्यक्ष भर्तियों का चयन किया, वह उनकी वरिष्ठता तय करने के लिए सामग्री तिथि होगी।उच्च न्यायालय ने रिमांड का आदेश पारित करके न्यायाधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप किया।अंततः, प्रत्यक्ष भर्तियां न्यायाधिकरण के समक्ष सफल रहीं।रिमांड पर पारित न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिकाएं उच्च न्यायालय में दायर की गई थीं।उक्त याचिकाओं को इस न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था।

बी.

सी.

डी.

25. एन. आर. परमार 1 के मामले में निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि इस न्यायालय ने 22 दिसंबर 1959,7 फरवरी 1986,3 जुलाई 1986 और 3 मार्च 2008 के ओ. एम. पर विचार किया और उनकी व्याख्या की।इन ओ. एम. के अलावा, इस न्यायालय ने विभिन्न कार्यालय टिप्पणियों के साथ-साथ पत्राचार पर भी विचार किया।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 3 मार्च, 2008 के ओ. एम. को इस हद तक नजरअंदाज किया जाना चाहिए कि यह 7 फरवरी, 1986 और 3 जुलाई, 1986 के ओ. एम. का अपमान है।पैराग्राफ 52 में, इस न्यायालय ने अपने निष्कर्षों को दर्ज किया, जो इस प्रकार हैः

ई.

“52. दिनांक 7-2-1986 और 3-7-1986 (ऊपर पैरा 25 से 29 में) के ओ. एम. के प्रभाव की व्याख्या करने के बाद, हम संतुष्ट हैं कि न केवल मांग बल्कि सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन भी एस. एस. सी. द्वारा उस भर्ती वर्ष में जारी किया गया था जिसमें सीधी भर्ती रिक्तियां उत्पन्न हुई थीं।कथित तथ्यात्मक स्थिति, जैसा कि प्रतिद्वंद्वी दलों द्वारा पुष्टि की गई है, सभी मामलों में आम है

एफ.

सामूहिक रूप से निपटाया गया।इन सभी मामलों में विज्ञापित रिक्तियों को उसी के लिए आयोजित मूल/पहली परीक्षा/चयन में भरा गया था।यहाँ प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किए गए आयकर निरीक्षकों में से किसी को भी कैरी-फॉरवर्ड रिक्तियों, या रिक्तियों पर कब्जा करने के लिए नहीं कहा जा सकता है जो "बाद में" परीक्षा/चयन प्रक्रिया द्वारा भरे गए थे।तथ्य केवल यह बताते हैं कि परीक्षा और चयन ए

जी.

एच.

957

हरिहरण एंड ओआरएस. वी.हर्ष वर्धन सिंह राव और ओआरएस। [अभय एस. ओकेए, जे.] ए.

प्रत्यक्ष भर्तियों की प्रक्रिया भर्ती वर्ष के भीतर ही पूरी नहीं की जा सकी।इसके लिए, दिनांकित ओ. एम. **7-2-1986** के माध्यम से किए गए प्रत्यक्ष भर्तियों और पदोन्नतियों के बीच अंतर-वरिष्ठता निर्धारित करने के तरीके में संशोधन/संशोधन और दिनांकित ओ. एम. **3-7-1986** में वरिष्ठता से संबंधित निर्देशों का संकलन, किसी भी संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है, कि "कोटा का आवर्तन" सिद्धांत वर्तमान विवाद में प्रत्यक्ष भर्तियों पर पूरी तरह से लागू होगा। इसलिए यहाँ सीधी भर्तियों को उसी भर्ती वर्ष के पदोन्नत लोगों के साथ अंतर करना होगा।”

बी.

सी.

(जोर जोड़ा गया) 26।विवादित फैसले में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्षों पर विचार करना आवश्यक है।उच्च न्यायालय ने एन. आर. परमार 1 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर स्पष्ट रूप से भरोसा किया है।उक्त निर्णय को मामले के तथ्यों पर लागू करके, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः i. सीधी भर्तियों के लिए 35+11 रिक्तियों के लिए अनुरोध भर्ती वर्ष 2009-10 में ही CBDT को भेजा गया था;

डी.

ii.उक्त रिक्तियों के लिए भर्ती भर्ती वर्ष 2009-10 के दौरान आयोजित नहीं की जा सकी जिसके लिए उम्मीदवार जिम्मेदार नहीं थे;

ई.

iii.ऐसा नहीं है कि प्रत्यक्ष भर्तियों के पदों को भरने के लिए योग्य उम्मीदवार वर्ष 2009-10 में उपलब्ध नहीं थे।

iv.7 सितंबर 2016 की वरिष्ठता सूची, जो एन. आर. परमार 1 के मामले में इस न्यायालय के फैसले के संदर्भ में तैयार की गई थी, को इस स्पष्टीकरण के साथ बहाल करने की आवश्यकता थी कि वे सीधी भर्तियां जो भर्ती वर्ष 2009-10 में पात्र थीं, उन्हें वर्ष 2009-10 के दौरान नियुक्त 53 पदोन्नति के साथ जोड़ा जाना चाहिए। और

एफ.

7 सितंबर 2016 की वरिष्ठता सूची, जो अंतिम वरिष्ठता सूची थी, को प्रभावित उम्मीदवारों को सुनने का अवसर दिए बिना संशोधित नहीं किया जा सकता था।इसलिए 13 फरवरी 2018 की संशोधित वरिष्ठता सूची अवैध थी।

जी.

27. अब, K.Meghachandra 2 के मामले में माननीय तीन न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय पर आते हुए, यह न्यायालय इस पर विचार कर रहा था

एच.

मणिपुर पुलिस सेवा नियम, 1965 (संक्षेप में, 'एम. पी. एस. नियम')।यह न्यायालय मणिपुर पुलिस सेवा के कैडर में वरिष्ठता, सीधे भर्ती और पदोन्नति के बीच ग्रेड-II अधिकारियों पर विवाद के मुद्दे पर विचार कर रहा था।एम. पी. एस. नियमों के नियम 28 का उल्लेख करने के बाद, एक निष्कर्ष दर्ज किया गया कि नियम में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि वरिष्ठता की गणना केवल नियुक्ति की तारीख से की जाएगी, न कि उस चरण से जब नियुक्ति के लिए मांग जारी की गई थी।पैराग्राफ 34 में, इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

बी.

“34. N.R.Parmar [2012 (13) SCC 340] में निर्णय पर अब कुछ विस्तार से विचार किया जाना है क्योंकि इस पर बहुत अधिक भरोसा किया जाता है।

अपीलार्थियों के वकील।शुरुआत में, हालांकि यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि उद्धृत मामले का एम. पी. एस. नियम, **1965** और आयकर निरीक्षकों से संबंधित मुकदमे से कोई लेना-देना नहीं था, जो केंद्र सरकार के विभिन्न ओ. एम. (दिनांक **22-12-1959,7-2-1986,3-7-1986** और **3-3-2008)** के लाभों का दावा कर रहे थे।यह निर्णय केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के संबंध में दिया गया था जिनके अपने सेवा नियम थे।वर्तमान मामले में वादियों के लिए लागू नियमों में हालांकि यह प्रावधान है कि सेवा में वरिष्ठता उस क्रम से निर्धारित की जाएगी जिसमें सेवा में नियुक्तियां की जाती हैं।इसलिए, एन. आर. परमार **[2012 (13)** एस. सी. सी. **340]** में संदर्भित संबंधित ज्ञापन जो केंद्र सरकार की सेवा में व्यक्तियों की वरिष्ठता के निर्धारण के लिए सामान्य सिद्धांतों से संबंधित हैं, हमारे अनुसार, मणिपुर राज्य में सेवारत पुलिस अधिकारियों के लिए कोई प्रबल प्रभाव नहीं होना चाहिए।"

सी.

डी.

ई.

(जोर दिया गया)

एफ.

पैराग्राफ 38 में, इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

"38. इस स्तर पर, हमें इस बात पर भी जोर देना चाहिए कि न्यायालय को **N.R.Parmar [2012 (13) SCC 340]** में यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि चयनित उम्मीदवार को प्रशासनिक देरी और प्रक्रिया की शुरुआत और नियुक्ति के बीच के अंतर के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।इस तरह का अवलोकन गलत है क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने की तारीख को किसी को भी चयनित उम्मीदवार के रूप में पहचाना नहीं जा सकता है।उस दिन, सीधी भर्तियों के लिए निर्धारित रिक्ति पर नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्तियों का एक निकाय ए था

जी.

एच.

959

हरिहरण एंड ओआरएस. वी.हर्ष वर्धन सिंह राव और ओआरएस। [अभय एस. ओकेए, जे.] ए.

अस्तित्व में नहीं।जो व्यक्ति किसी विज्ञापन का जवाब दे सकते हैं, उन्हें विज्ञापन की तारीख से अपनी वरिष्ठता की गणना करने के अधिकार की बात नहीं करने के लिए सेवा से संबंधित कोई अधिकार नहीं हो सकते हैं।दूसरे शब्दों में, केवल प्रक्रिया के पूरा होने पर, आवेदक एक

चयनित उम्मीदवार में परिवर्तित हो जाता है और इसलिए, एन. आर. परमार **[2012 (13)** एस. सी. सी. **340]** में इस प्रभाव के लिए अनावश्यक अवलोकन किया गया था कि चयनित उम्मीदवार को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

बी.

प्रशासनिक विलंब।इसी संदर्भ में, हम उपयोगी रूप से शंकरसन दास बनाम भारत संघ [शंकरसन दास बनाम भारत संघ, (1991) 3 एस. सी. सी. 47 में अनुपात का उल्लेख कर सकते हैंः1991 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 800], जहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सूची में शामिल होने पर भी, एक नियुक्त व्यक्ति कोई अधिकार प्राप्त नहीं करता है।"

सी.

(जोर दिया गया)

पैराग्राफ 39 में, इस न्यायालय ने कहाः

"39. केंद्र सरकार के कर्मचारियों से संबंधित N.R.Parmar [2012 (13) SCC 340] में निर्णय हमारी राय में, एम. पी. एस. नियम, 1965 द्वारा शासित मणिपुर राज्य पुलिस अधिकारियों पर स्वचालित रूप से लागू नहीं हो सकता है।हम यह भी महसूस करते हैं कि एन. आर. परमार 1 ने जगदीश Ch.Patnaik [जगदीश Ch.Patnaik बनाम उड़ीसा राज्य, (1998) 4 एस. सी. सी. 456 में प्रतिपादित लंबे समय से चले आ रहे वरिष्ठता निर्धारण सिद्धांतों को गलत तरीके से अलग किया थाः1998 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 1156], सूरज प्रकाश गुप्ता बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य [सूरज प्रकाश गुप्ता बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य, (2000) 7 एस. सी. सी. 561:2000 एससीसी (एल एंड एस) 977] और पवन प्रताप सिंह बनाम रीवन सिंह [पवन प्रताप सिंह बनाम रीवन सिंह, (2011) 3 एससीसी 267: (2011) 1 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 481]।ये तीन निर्णय और कई अन्य वरिष्ठता के निर्धारण के लिए कानून पर समान उच्चारण के साथ यह स्पष्ट करते हैं कि सेवा न्यायशास्त्र के तहत, वरिष्ठता का दावा उस तारीख से नहीं किया जा सकता है जब पदधारी का कैडर में जन्म होना बाकी है।हमारी सुविचारित राय में, इस मुद्दे पर कानून जगदीश च में सही ढंग से घोषित किया गया है। पटनायक [जगदीश च। पटनायक बनाम उड़ीसा राज्य (1998) 4 एस. सी. सी. 456:1998 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 1156] और परिणामस्वरूप हम अंतर वरिष्ठता के मूल्यांकन पर मानदंडों को अस्वीकार करते हैं, जो एन. आर. परमार [भारत संघ बनाम एन. आर. परमार, (2012) 13 एस. सी. सी. 340 में सुझाए गए हैंः(2013) 3 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 711]।

डी.

ई.

एफ.

जी.

तदनुसार, एन. आर. परमार **1** में निर्णय को खारिज कर दिया गया है।हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि इस फैसले का कोई असर नहीं होगा

एच.

960 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 9 एस. सी. आर.

अंतर वरिष्ठता पहले से ही एन. आर. परमार **1** पर आधारित है और वही संरक्षित है।यह निर्णय संभावित रूप से लागू होगा, सिवाय इसके कि रिक्तता की तारीख/विज्ञापन की तारीख से संबंधित नियमों के तहत वरिष्ठता तय की जानी है।"

(जोर जोड़ा गया) 28।आई. डी. 1 के मामले 2 से निपटने वाली माननीय पीठ के प्रति सबसे बड़े सम्मान के साथ, हम पाते हैं कि एम. सुब्बा रेड्डी 6 के मामले में समन्वय पीठ के बाध्यकारी निर्णय पर पीठ का ध्यान नहीं दिया गया था।यह निर्णय तीन माननीय न्यायाधीशों की पीठ ने दिया था।एम. सुब्बा रेड्डी 6 के मामले में इस न्यायालय ने एकीकृत वरिष्ठता सूची में सहायक यातायात प्रबंधक और सहायक यांत्रिक अभियंता के पदों पर पदोन्नति के मुद्दे पर विचार किया। बहुमत निर्णय प्रासंगिक सेवा विनियमों को संदर्भित करता है जो प्रदान करता है कि वरिष्ठता नियुक्ति की तारीख से सेवा या ग्रेड तक मानी जाती है।उक्त निर्णय के पैराग्राफ 6 और 7 इस प्रकार हैं:

बी.

सी.

डी.

"6. अपीलार्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री राकेश द्विवेदी ने विद्वान कि अपीलार्थियों को 1981 से 1987 के दौरान अपने कोटे के भीतर पदोन्नत होने का अधिकार था, जब पदोन्नति के लिए रिक्तियां उपलब्ध हुईं।इस अवधि के दौरान, कोई सीधी भर्ती उपलब्ध नहीं थी। जुलाई 1988, नवंबर 1990 और जून 1992 में सीधी भर्तियां उपलब्ध हुईं।अपीलार्थी एम. सुब्बा रेड्डी को 9-9-1988 के आदेश के अनुसार 27-12-1986 से नियमित किया गया था, जब कोई सीधी भर्ती उपलब्ध नहीं थी और इसलिए निगम के लिए सीधे नियुक्ति करना अनुचित था।

ई.

पदोन्नतियों के ऊपर भर्ती।यह अपीलार्थियों का मामला है कि प्रत्यक्ष भर्तियां अपने चयन से पहले अपने कोटे में रिक्ति की तारीख से नियुक्ति का दावा नहीं कर सकती हैं।यह.

एफ.

यह तर्क दिया गया है कि अनुलग्नक 'ए' (धारा बी) की मद 3 भर्ती की विधि को उस तरीके से निर्धारित करती है जिसमें रिक्ति आवंटित की जाती है।विद्वान अधिवक्ता के अनुसार इसमें वरिष्ठता के उद्देश्यों के लिए रोटा शामिल नहीं है।यह केवल कोटा निर्धारित करता है, इसलिए, रोटा निहित नहीं किया जा सकता है।यह आग्रह किया गया कि वरिष्ठता से केवल सेवा विनियम, 1964 के विनियम 3 द्वारा निपटा जाता है न कि भर्ती विनियम, 1966 के विनियम 34 द्वारा। रिलायंस को इस संबंध में विनियमन 34 पर रखा गया था जैसा कि 15-9-1995 पर संशोधित किया गया था।यह प्रस्तुत किया गया था कि उक्त संशोधनों को ध्यान में रखते हुए, अनुलग्नक 'ए' केवल रिक्ति ए के आवंटन को संदर्भित करता है

जी.

एच.

961

हरिहरण एंड ओआरएस. वी.हर्ष वर्धन सिंह राव और ओआरएस। [अभय एस. ओकेए, जे.] ए.

और वरिष्ठता के निर्धारण के लिए नहीं।यह केवल सेवा विनियमों के विनियम 3 द्वारा निर्धारित किया जाना था।गैर -

यह आग्रह किया गया कि किसी विशेष श्रेणी में उम्मीदवारों की उपलब्धता भर्ती पर प्रतिबंध या किसी अन्य आधार पर हो सकती है।इसलिए**,** वर्तमान मामले में**,** जहां सीधे भर्ती उपलब्ध नहीं होने पर पदोन्नति कोटे में पदोन्नति नियमित की गई थी**,** अनुलग्नक 'ए' की मद **3 (1)** में कोटा लागू नहीं होगा।यह प्रस्तुत किया गया था कि किसी भी स्थिति में**,** उक्त खंड के तहत रिक्ति का आवंटन कठोर नहीं था और यह नियमितीकरण की तारीख से पदोन्नति पाने वालों को वरिष्ठता से वंचित करने का आधार नहीं हो सकता है।रिलायंस था

बी.

प्रत्यक्ष भर्ती वर्ग II इंजीनियरिंग के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर रखा गया।अधिकारी संघ बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1990) 2 एस. सी. सी. 715:1990 एससीसी (एल एंड एस) 339:(1990) 13 ए. टी. सी. 328:ए. आई. आर. 1990 एस. सी. 1607]

सी.

7. हम उपरोक्त तर्कों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।अपीलार्थियों ने उपरोक्त नियमों की वैधता को चुनौती नहीं दी है।जैसा कि ऊपर कहा गया है, अपीलार्थियों की ओर से हमारे समक्ष यह तर्क दिया गया है कि अनुलग्नक 'ए' (धारा बी) की मद 3 (1) भर्ती की विधि और उस तरीके को निर्धारित करती है जिसमें रिक्ति आवंटित की जानी है, जिसमें वरिष्ठता के उद्देश्यों के लिए आवर्तन शामिल नहीं है; कि अनुलग्नक 'ए' (धारा बी) की मद 3 (1) केवल कोटा निर्धारित करती है और

डी.

ई.

रोटा निहित नहीं किया जा सकता है।हालाँकि, उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थियों ने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया कि उपरोक्त विनियमों के तहत, पदोन्नति और सीधी भर्ती **1** के अनुपात में की जानी आवश्यक थी:**1** और यह कि उक्त विनियमों ने एक चक्र के लिए प्रावधान किया जिसमें रिक्तियां थीं

घुमाया जाए।**(**एम**.** सुब्बा रेड्डी का हलफनामा दिनांक **28-12-1994** देखें।**)**

एफ.

उक्त हलफनामे में आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि सीधी भर्तियों के अभाव में, सीधी भर्तियों के लिए आरक्षित स्थानों को तुरंत पदोन्नति के साथ समायोजित किया जाना चाहिए और बाद में सीधे भर्ती होने वालों को बाद में वरिष्ठता सूची में उनके पद दिए जाने चाहिए।हमारे विचार में, उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थियों के कथन, यदि स्वीकार किए जाते हैं, तो उपरोक्त विनियमों में सन्निहित कोटा और रोटा नियम का पूर्ण उल्लंघन होगा, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।जैसा कि ऊपर बताया गया है,

जी.

अपीलार्थियों को मूल रूप से विनियमन 34 में परिकल्पित शर्तों के अधीन पदोन्नत किया गया था और इसलिए वे दावा नहीं कर सकते हैं।

एच.

उक्त विनियमों की अनदेखी करके और उनकी कार्यवाहक सेवाओं के आधार पर वरिष्ठता।उन्हें विनियमन 30 के तहत अस्थायी रूप से पदोन्नत किया गया था जो तदर्थ पदोन्नति का प्रावधान करता है।विनियमन 34 योग्य प्रत्यक्ष भर्तियों को शामिल करना सुनिश्चित करता है।लेकिन विनियमन 34 के लिए, फीडर पदों के उम्मीदवारों को अस्थायी रूप से प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए आरक्षित स्थानों पर पदोन्नत किया जाएगा और उनके नियमित होने पर, प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए निर्धारित कोटा समाप्त हो जाएगा।प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए निर्धारित कोटा की रक्षा के लिए विनियम 34 लागू किया गया है।जैसा कि ऊपर कहा गया है, सेवा विनियमों के विनियम 3 को उक्त भर्ती विनियमों के विनियम 30 और 34 के सहपठित पढ़ा जाना चाहिए।अपीलार्थियों को विनियमन 30 के तहत अस्थायी आधार पर इस स्पष्ट समझ के साथ पदोन्नत किया गया था

कि कार्यपालन की अवधि उन्हें भविष्य में प्रत्यक्ष भर्तियों पर कोई अधिकार नहीं देगी।यही कारण है कि विनियम 30 (6) में कहा गया है कि यदि किसी अस्थायी प्रोन्नति को बाद में विनियमों के अनुसार पदोन्नत किया जाता है, तो उसकी परिवीक्षा उच्च श्रेणी में बाद की पदोन्नति की तारीख से ही शुरू होगी।इसी कारण से, विनियम 34 में कहा गया है कि पदोन्नति द्वारा भरे जाने के लिए आरक्षित रिक्तियों के कोटे के खिलाफ पुनः पदोन्नति के लिए बाद में विचार किया जाएगा। इसलिए, विनियमन 34 प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए निर्धारित कोटा की रक्षा करता है।नियम पढ़ने के बारे में

बी.

सी.

डी.

3 भर्ती विनियमों के विनियम **30** और **34** के साथ सेवा विनियमों के अनुसार**,** यह स्पष्ट हो जाता है कि न तो पदोन्नति की तारीख और न ही चयन की तारीख वरिष्ठता के निर्धारण के लिए मानदंड है।उपरोक्त विनियमों के तहत वरिष्ठता का निर्धारण किसी विशेष श्रेणी में आने वाली रिक्तियों की संख्या पर निर्भर करता है।इसलिए**,** रोटा का नियम भर्ती विनियमों के अनुलग्नक 'ए' **(**धारा बी**)** की मद **3** के संदर्भ में प्रत्यक्ष भर्तियों और पदोन्नति के लिए निर्धारित कोटे में अंतर्निहित है।वर्तमान मामले में**,** उपरोक्त विनियम **1** का कोटा निर्धारित करते हैं**:1,** जो पुष्टि के लिए रोटा की ओर ले जाता है।उपरोक्त विनियमों के तहत वरिष्ठता का निर्धारण उन रिक्तियों की संख्या पर निर्भर करता है जिनके खिलाफ पदोन्नति देय हो गई थी।

ई.

एफ.

जी.

पदोन्नति के लिए।देवेन्द्र प्रसाद शर्मा बनाम मिजोरम राज्य [(1997) 4 एस. सी. सी. 422 के मामले में:1997 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 1053] नियम 25 (iii) में कहा गया है कि प्रत्यक्ष भर्तियों और पदोन्नतियों की सापेक्ष वरिष्ठता का निर्धारण ए. के कोटे के आधार पर प्रत्यक्ष भर्तियों और पदोन्नतियों के बीच रिक्तियों के आवर्तन के अनुसार किया जाएगा।

एच.

963

हरिहरण एंड ओआरएस. वी.हर्ष वर्धन सिंह राव और ओआरएस। [अभय एस. ओकेए, जे.] ए.

सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए आरक्षित रिक्तियां।नियम 25 (iii) अनुलग्नक 'ए' (धारा बी) की मद 3 (1) के समान है।यह था।

इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसे मामलों में जहां रिक्तियों के कोटे के आधार पर प्रत्यक्ष भर्तियों और पदोन्नतियों के बीच रिक्तियों का आवर्तन होता है, नियमों के तहत रिक्तियों के अनुसार और जब वे जमा होते हैं तो आवर्तन पर विचार किया जाना चाहिए। इसलिए, कोटा नियम का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है, यदि नहीं, तो यह बेतुका हो जाएगा।यदि अपीलार्थियों के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो इसका मतलब होगा कि प्रत्यक्ष भर्तियों के पूरे समूह को पदोन्नति के पूरे समूह से नीचे रखा जाएगा।हमारी राय है कि भर्ती के दो स्रोतों के बीच कोटा तय करने के बाद, निगम के पास कोटा में बदलाव करने या कोटा से विचलन करने का कोई विवेकाधिकार नहीं है।में

बी.

सी.

परिस्थितियों में, अपीलार्थियों के तर्क में कोई योग्यता नहीं है कि अनुलग्नक 'ए' (धारा बी) की वस्तु 3 (1) केवल कोटा निर्धारित करती है न कि रोटा और यह कि उक्त वस्तु वरिष्ठता के निर्धारण के लिए नहीं थी।एस. जी. जयसिंहानी बनाम भारत संघ [ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1427] के मामले में इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि भर्ती के दो स्रोतों के बीच कोटा निर्धारित करने के बाद, सरकार के लिए कोटा में परिवर्तन करने या कोटा से विचलन करने का अधिकार नहीं है।भारत संघ बनाम एस. डी. गुप्ता [(1996) 8 एस. सी. सी. 14 के मामले में:1996 एससीसी (एल एंड एस) 811:ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 3325] उत्तरदाता केंद्रीय जल आयोग इंजीनियरिंग कक्षा I सेवा में पदोन्नत अतिरिक्त सहायक निदेशक (कक्षा III) थे।भर्ती नियम डब्ल्यू. ई. एफ. 15-10-1965 बनाए गए थे।पहले की मुकदमेबाजी में, न्यायाधिकरण ने पाया कि श्री वी. पी. मिश्रा, अतिरिक्त सहायक निदेशक को 31-3-1978 पर तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया था और उन्हें उस तारीख से प्रभावी होने की पुष्टि करने की आवश्यकता थी जिस दिन पदोन्नति के कोटे में उनके लिए रिक्ति उपलब्ध थी।यह रिक्ति स्वीकार्य रूप से 3-5-1979 पर पदोन्नति के कोटे में उत्पन्न हुई थी।श्री वी. पी. मिश्रा को उस रिक्ति पर नियुक्त किया गया था।ऐसा करते समय, विभाग ने रोटा और कोटा के सिद्धांत को लागू किया और पदोन्नति और प्रत्यक्ष भर्तियों की अंतर वरिष्ठता निर्धारित की।नतीजतन, पदोन्नति पाने वालों को वरिष्ठता के क्रम में नीचे धकेल दिया गया, जिसके कारण मुकदमेबाजी का दूसरा दौर शुरू हुआ।इस न्यायालय के समक्ष निर्धारण के लिए जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या विभाग द्वारा निर्धारित वरिष्ठता की योग्यता नियमों के अनुसार थी।न्यायालय ने पाया कि 60 प्रतिशत रिक्तियों को सीधी भर्तियों द्वारा भरा जाना था

डी.

ई.

एफ.

जी.

और 40 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा।40 प्रतिशत कोटे में, पदोन्नत और हस्तांतरणकर्ताओं के बीच 25 प्रतिशत और 15 प्रतिशत के अनुपात में एक और सीमांकन था।मान लीजिए कि पदोन्नति पाने वाले 25 प्रतिशत कोटे के भीतर अपने योग्यता के हकदार थे।पदोन्नति के लिए रिक्तियां 3-5-1979 पर उत्पन्न हुई थीं और इसलिए, वी. पी. मिश्रा उस रिक्ति के हकदार थे जो उस तारीख को उत्पन्न हुई थी।हालाँकि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, एकीकृत सूची में, पदोन्नतियों को नीचे धकेल दिया गया था।यह था।

बी.

पदोन्नतियों की ओर से तर्क दिया गया कि जब पदोन्नतियों को पदोन्नत किया गया था तो प्रत्यक्ष भर्ती सेवा में नहीं की गई थी और इक्विटी की आवश्यकता है कि पदोन्नतियों को नीचे नहीं धकेला जा सकता है।इस न्यायालय ने यह कहते हुए उक्त तर्क को खारिज कर दिया कि सीधी भर्ती का उद्देश्य प्रतिभा और अनुभव का मिश्रण करना है।जब तक व्यवस्था जारी है, परिणाम अपरिहार्य हैं।यद्यपि प्रत्यक्ष भर्तियों को बाद में भर्ती किया गया था, लेकिन वरिष्ठता के क्रम में उनकी योग्यता नियमों के तहत निर्धारित रोटा और कोटा के संदर्भ में निर्धारित की जानी थी।ऐसे मामले में पदोन्नति पाने वालों को नीचे धकेलने पर भी कोई अवैधता नहीं थी

सी.

डी.

वरिष्ठता के क्रम में।हमारे विचार में, एस. डी. गुप्ता मामले में इस न्यायालय का निर्णय **[(1996) 8** एस. सी. सी**. 14:1996** एससीसी **(**एल एंड एस**) 811:**ए. आई. आर**. 1996** एस. सी**. 3325]** वर्तमान मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होता है।**”**

() यह अभिनिर्धारित किया गया कि यद्यपि कुछ प्रत्यक्ष भर्तियों को पदोन्नति के बाद भर्ती किया गया था, लेकिन वरिष्ठता के क्रम में उनकी योग्यता का निर्धारण नियमों के तहत निर्धारित रोटा और कोटा या 'कोटा के आवर्तन' के संदर्भ में किया जाना था।यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब पदोन्नति पाने वालों को वरिष्ठता के क्रम में नीचे धकेल दिया गया था तो कोई अवैधता नहीं थी।इस न्यायालय ने संघ के मामले में अपने पहले के फैसले को अनुमोदन के साथ उद्धृत किया

ई.

एफ.

भारत और ओआरएस. वी.एस. डी. गुप्ता और अन्य **7.**इस मामले में, आवेदन करके

रोटा और कोटा का सिद्धांत, पदोन्नति और प्रत्यक्ष भर्तियों की अंतर-से-वरिष्ठता तय की गई थी। उक्त मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि प्रत्यक्ष भर्तियों को पदोन्नतियों की नियुक्ति के बाद भर्ती किया गया था, लेकिन प्रत्यक्ष भर्तियों और पदोन्नतियों की योग्यता का निर्धारण रोटा और निर्धारित कोटा के संदर्भ में किया जाना चाहिए।पैराग्राफ 8 में, इस न्यायालय ने एक तर्क पर विचार किया कि सीधे भर्ती होने वाले लोग सेवा में पैदा नहीं हुए थे जब पदोन्नतियों को पदोन्नत किया गया था और इसलिए, पदोन्नतियों को नीचे नहीं धकेला जाना चाहिए।पैराग्राफ 8 में, इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

जी.

7 1996 (8) एससीसी 14 ए

एच.

965

हरिहरण एंड ओआरएस. वी.हर्ष वर्धन सिंह राव और ओआरएस। [अभय एस. ओकेए, जे.] ए.

"8. इसके बाद यह तर्क दिया जाता है कि प्रत्यक्ष भर्तियां सेवा में पैदा नहीं हुई थीं जब पदोन्नतियों को पदोन्नत किया गया था और इक्विटी के लिए आवश्यक है कि उन्हें नीचे नहीं धकेला जा सकता है।प्रत्यक्ष का उद्देश्य

भर्ती दक्षता बढ़ाने के लिए प्रतिभा और अनुभव को मिलाने के लिए होती है जब सीधी भर्तियां, हालांकि हरित चरागाहों से आती हैं, समर्पण और ईमानदारी से ओत-प्रोत होती हैं।जब तक व्यवस्था जारी है, परिणाम अपरिहार्य हैं।इक्विटी का सवाल ही नहीं उठता।श्री कृष्णमणि तब

बी.

उन्होंने तर्क दिया कि प्रत्यक्ष भर्तियों को अस्थायी दिखाया जाता है और इसलिए वे पदोन्नत मूल नियुक्तियों के समान नहीं हो सकते हैं।प्रत्यक्ष भर्तियों में से 60 प्रतिशत का कोटा मूल रिक्तियों के लिए है, हालांकि उनकी प्रारंभिक नियुक्ति अस्थायी है; परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर वे मूल रूप से नियुक्त हो जाते हैं।यही इस संबंध में कानून का स्थापित सिद्धांत है।इसलिए, न्यायाधिकरण, प्रत्यक्ष भर्तियों से ऊपर अपने कोटे में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की तुलना में उनकी उपयुक्तता पर विचार करने का निर्देश देने में सही नहीं है।" (जोर जोड़ा गया)
29।अब, हम मर्विन कॉटिन्डो 3 के मामले में संविधान पीठ के फैसले की ओर मुड़ते हैं।इस न्यायालय ने सीमा शुल्क विभाग में मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा दायर भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका का फैसला किया।संविधान पीठ ने कहा कि मूल्यांकनकर्ताओं के पदों पर भर्ती के लिए जो प्रणाली प्रचलित थी, वह यह थी कि 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती के लिए

आरक्षित थे और शेष 50 प्रतिशत सीमा शुल्क विभाग में अधीनस्थ अधिकारियों से पदोन्नति द्वारा भरे गए थे।याचिका में यह तर्क दिया गया था कि इस प्रणाली के परिणामस्वरूप पदोन्नति पाने वालों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया था क्योंकि मूल्यांकनकर्ताओं के संवर्ग में बहुत लंबी सेवा देने वाले पदोन्नति पाने वालों को बहुत कम सेवा के साथ प्रत्यक्ष भर्ती से नीचे वरिष्ठता में रखा गया था।याचिका में एक और शिकायत थी जिससे हम चिंतित नहीं हैं।सर्वोच्च न्यायालय ने 12 सितंबर 1959 के परिपत्र/ओ. एम. का उल्लेख किया, जिसे 7 फरवरी 1986 और 3 जुलाई 1986 के ओ. एम. में संदर्भित किया गया है।प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, संविधान पीठ ने इस प्रकार निर्णय दियाः

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

“6. इससे पहले कि हम इस बात पर आएं कि 1963 में मूल्यांकनकर्ताओं की वरिष्ठता तय करने के मामले में क्या किया गया है, हम दो अन्य परिपत्रों का उल्लेख कर सकते हैं।पहला 1953 में जारी बोर्ड का एक परिपत्र है।हमारी राय में उस परिपत्र का प्रत्यक्ष भर्तियों और पदोन्नतियों के बीच वरिष्ठता तय करने के सवाल से कोई लेना-देना नहीं है।इसका मुख्य

एच.

मूल्य यह है कि यह इस बात पर जोर देता है कि प्रत्यक्ष भर्तियों और पदोन्नतियों के लिए निर्धारित अनुपात को सख्ती से बनाए रखा जाना चाहिए।यह यह भी निर्देश देता है कि उच्च श्रेणी में पदोन्नति प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नति दोनों की संयुक्त वरिष्ठता सूची के आधार पर की जानी चाहिए।फिर

1955 का एक और परिपत्र है।उस परिपत्र में फिर से आवर्तन प्रणाली पर जोर दिया गया है और कहा गया है कि यह निर्णय लिया गया है कि "मूल्यांकनकर्ताओं के ग्रेड में सीधी भर्ती और पदोन्नति की वरिष्ठता का निर्धारण उस क्रम में किया जाना चाहिए जिसमें उस ग्रेड में रिक्ति को सीधे भर्ती द्वारा या इस तरह की नियुक्तियों के लिए निर्धारित कोटा के अनुसार पदोन्नती द्वारा भरा जाता है।"याचिकाकर्ताओं की ओर से इस परिपत्र में "भरा गया है" शब्दों पर जोर दिया

गया है, और यह आग्रह किया जाता है कि इसका मतलब है कि जब तक प्रत्यक्ष भर्ती वास्तव में भर्ती नहीं की जाती है और प्रत्यक्ष भर्ती के लिए रिक्त स्थान को नहीं भरता है, तब तक वह केवल वरिष्ठता तय करने की आवर्तन प्रणाली के आधार पर रिक्त स्थान को भरने की तारीख से पहले वरिष्ठता प्राप्त नहीं कर सकता है।हमें नहीं लगता कि इस परिपत्र में उपयोग किए गए "भरे हुए" शब्दों का यह अर्थ है।हम पहले ही कह चुके हैं कि यह परिपत्र वरिष्ठता तय करने के मामले में आवर्तन प्रणाली पर भी जोर देता है और इसका मतलब यह है कि रिक्तियों को या तो प्रत्यक्ष भर्तियों द्वारा या ऐसी नियुक्तियों के लिए निर्धारित कोटा के अनुसार पदोन्नतियों द्वारा भरा जाना चाहिए।

बी.

सी.

डी.

7. यह हमें 1959 के परिपत्र पर वापस लाता है, और उस संबंध में मुख्य प्रश्न प्रत्यक्ष भर्तियों और पदोन्नतियों की सापेक्ष वरिष्ठता से संबंधित सिद्धांत 6 के स्पष्टीकरण में "तदनुसार निर्धारित वरिष्ठता" शब्दों को दिया जाने वाला अर्थ है।

ई.

जैसा कि हम इन शब्दों को पढ़ते हैं, उनका स्पष्ट अर्थ यह है कि सीधी भर्तियों और पदोन्नतियों के बीच वरिष्ठता का निर्धारण रोस्टर के अनुसार किया जाना चाहिए, जिसे भी निर्दिष्ट किया गया है, अर्थात्, एक प्रमोटर के बाद एक सीधी भर्ती आदि।इसलिए जहाँ एक संवर्ग में भर्ती दो स्रोतों से होती है, अर्थात्, प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नति और आवर्तन प्रणाली लागू होती है, वहाँ वरिष्ठता को वैकल्पिक रूप से एक पदोन्नति और वरिष्ठता सूची में प्रत्यक्ष भर्ती तय करके स्पष्टीकरण में दिए गए अनुसार तय किया जाना चाहिए।हम अनुच्छेद **16 (1)** में निहित अवसर की समानता के सिद्धांत का कोई उल्लंघन नहीं देखते हैं, जिसमें एक संवर्ग में वरिष्ठता तय करने की आवर्तन प्रणाली का पालन किया जाता है, जिसमें आधे में प्रत्यक्ष भर्तियां होती हैं और दूसरे आधे में पदोन्नति होती है, और आवर्तन प्रणाली स्वयं इस तरह से काम नहीं कर सकती है।

एफ.

जी.

एच.

हरिहरण एंड ओआरएस. वी.हर्ष वर्धन सिंह राव और ओआरएस। [अभय एस. ओकेए, जे.] ए.

सरकारी सेवा में अवसर की समानता से इनकार करने के लिए कहा जाता है।याचिका में जिन विसंगतियों का उल्लेख किया गया है, वे इस कारण से उत्पन्न नहीं होती हैं कि आवर्तन प्रणाली के उपयोग से सरकारी सेवा में अवसर की समानता का कुछ भी विरोध होता है; वे इस आकस्मिक परिस्थिति से उत्पन्न होती हैं कि मूल्यांकनकर्ताओं की इस विशेष सेवा में, किसी न किसी कारण से, सीधी भर्ती इसके लिए निर्धारित कोटे से कम हो गई है।यह केवल इस आकस्मिक परिस्थिति के कारण है कि याचिका में जिन विसंगतियों का उल्लेख किया गया है, वे उत्पन्न हुई हैं।इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर सीधी भर्ती ने उसके लिए निर्धारित कोटे के साथ तालमेल रखा होता तो इसे तय करने में कोई विसंगतियां नहीं होतीं।

बी.

सी.

वरिष्ठता सूची।इसलिए सवाल इस ओर संकुचित हो जाता है:क्या यह कहा जा सकता है कि अवसर की समानता से इनकार किया जाता है जो इस आकस्मिक परिस्थिति से उत्पन्न होता है और जो घूर्णन प्रणाली में निहित बुराई नहीं है?हम यह कहने के लिए तैयार नहीं हैं कि वरिष्ठता तय करने की आवर्तन प्रणाली ही सरकारी सेवा में अवसर की समानता का उल्लंघन करती है। अतीत में प्रत्यक्ष भर्तियों की अपर्याप्त भर्ती के कारण होने वाली कोई भी विसंगतियां हमारी राय में आवर्तन प्रणाली को खत्म करने का आधार नहीं हो सकती हैं, जो, जैसा कि हमने कहा है, स्वयं रोजगार के मामले में अवसर की समानता से इनकार करने के बराबर नहीं है।

डी.

सरकारी सेवा।यह खेदजनक है कि इस विशेष सेवा में अतीत में सीधी भर्तियों की अपर्याप्त भर्ती के कारण कुछ विसंगतियां सामने आई हैं।लेकिन हमारी राय में **1963** में तैयार की गई वरिष्ठता सूची को रद्द करने का कोई कारण नहीं हो सकता है, जो निस्संदेह सीधी भर्तियों और पदोन्नतियों की भर्ती के लिए निश्चित कोटा पर आधारित आवर्तन प्रणाली के अनुसार है। **1963** के बोर्ड का आदेश, जिसके आधार पर मूल्यांकनकर्ताओं की विवादित वरिष्ठता सूची तैयार की गई है, स्पष्ट रूप से यह बताता है कि "प्रत्यक्ष भर्तियों और पदोन्नतियों की वरिष्ठता के निर्धारण का सिद्धांत **1** के निर्धारित अनुपात में है:**1** इसे ठीक किया जाना चाहिए "।यह आदेश **1959** के परिपत्र के अनुसार है और जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, ऐसे मामले में बारी-बारी से वरिष्ठता तय करने के सिद्धांत में कोई अंतर्निहित बुराई नहीं है जहां कोई सेवा प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नति के शून्य अनुपात में होती है।"

ई.

एफ.

जी.

(जोर दिया गया)

30. हमारे समक्ष यह तर्क दिया गया है कि के. मेघचंद्र 2 के मामले में निर्णय को इस आधार पर नजरअंदाज करना होगा कि यह अनुचित है क्योंकि जिस पीठ ने फैसला किया था कि मामले को मर्विन कोटिंडो 3 के मामले में संविधान पीठ के बाध्यकारी निर्णयों और एम. सुब्बा रेड्डी 6 के मामले में एक समन्वय पीठ के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था।प्रथम दृष्टया, हम इस तर्क में सार पाते हैं कि के. मेघचंद्र 2 के मामले का फैसला करने वाली पीठ का ध्यान उपरोक्त बाध्यकारी उदाहरणों की ओर नहीं खींचा गया था।इसलिए, हमारा विचार है कि कार्रवाई का उचित तरीका यह होगा कि प्रश्न को एक बड़ी पीठ को भेजा जाए।हम एक ऐसे मामले से निपट रहे हैं जहां 'कोटा का आवर्तन' या रोटा और कोटा प्रणाली का पालन किया जा रहा है।यदि पदोन्नतियों की भर्ती संबंधित भर्ती वर्ष में की जाती है, लेकिन उसी भर्ती वर्ष में शुरू हुई सीधी भर्तियों की भर्ती की प्रक्रिया उसी वर्ष पूरी नहीं हो सकी है, तो बाद में नियुक्त प्रत्यक्ष भर्तियों को उसी भर्ती वर्ष के पदोन्नतों के बीच अंतर करना होगा।ऐसे मामले में, यह नहीं कहा जा सकता है कि भर्ती वर्ष के दौरान सीधी भर्तियां उपलब्ध नहीं थीं।उनकी नियुक्ति उसी वर्ष के दौरान नहीं की जा सकी, हालाँकि नियुक्ति की प्रक्रिया उसी वर्ष शुरू हुई थी।लेकिन, यदि सीधी भर्तियों की भर्ती की प्रक्रिया उसी भर्ती वर्ष में पूरी हो जाती है, लेकिन पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों का चयन नहीं किया जा सका है, तो कमी को अगले भर्ती वर्ष में आगे बढ़ाया जाना चाहिए।ऐसे मामलों में, जिन उम्मीदवारों का चयन कम रिक्तियों के लिए किया जाता है, उन्हें पिछले वर्षों के पदोन्नतियों के नीचे रखा जाएगा।जब तक इस तरह की प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है, तब तक कोटा प्रणाली का आवर्तन विफल हो जाएगा।31. मामले के तथ्यों पर आते हुए, हालांकि आयकर निरीक्षकों के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया भर्ती वर्ष 2009-10 में शुरू हुई थी, लेकिन उसी भर्ती वर्ष में इसे पूरा नहीं किया जा सका।यह ऐसा मामला नहीं है जहां पर्याप्त संख्या में प्रत्यक्ष भर्तियों की भर्ती नहीं की जा सकी, भले ही भर्ती भर्ती वर्ष में ही की गई हो।इस मामले में, जो लोग सीधी भर्ती के लिए पात्र थे, वे इस अवसर से वंचित थे क्योंकि उनकी ओर से कोई गलती नहीं होने के कारण उसी भर्ती वर्ष 2009-10 के दौरान भर्ती की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी।जवाबी हलफनामे के साथ संलग्न दस्तावेजों से पता चलता है कि 2009-10 और 2010-11 के लिए रिक्तियों का पृथक्करण ठीक से किया गया है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

32. किसी भी स्थिति में**,** के**.** मेघचंद्र **2** के मामले में निर्णय का एक संभावित संचालन है।**7** सितंबर **2016** की वरिष्ठता सूची ए

एच.

969

हरिहरण एंड ओआरएस. वी.हर्ष वर्धन सिंह राव और ओआरएस। [अभय एस. ओकेए, जे.] ए.

एन. आर. परमार 1 के मामले में निर्णय के संदर्भ में किया गया था।इसलिए, इसे 13 फरवरी 2018 को बदला नहीं जा सकता था जब उक्त निर्णय लागू था।

33. इस प्रकार, हमारे निष्कर्ष को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता हैः

आई. के. मेघचंद्र 2 के मामले में निर्णय के लिए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार की आवश्यकता है कि मर्विन कोटिंदो 3 के मामले में एक संविधान पीठ के बाध्यकारी निर्णय और एम. सुब्बा रेड्डी 6 के मामले में एक समन्वय पीठ के एक अन्य बाध्यकारी निर्णय को उस पीठ के समक्ष विचार के लिए नहीं रखा गया था जिसने निर्णय दिया था

बी.

के**.** मेघचंद्र **2** का मामला**;**

सी.

ii.यह मानते हुए भी कि के. मेघचंद्र 2 के मामले में सही निर्णय लिया गया था, निर्णय के पैराग्राफ 39 से पता चलता है कि एन. आर. परमार 1 के मामले में निर्णय को संभावित रूप से यह कहते हुए खारिज कर दिया गया है कि निर्णय एन. आर. परमार 1 के मामले के आधार पर पहले से तय अंतर-से-वरिष्ठता को प्रभावित नहीं करेगा और इसे संरक्षित किया गया था।यह भी माना जाता है कि निर्णय संभावित रूप से लागू होगा, सिवाय इसके कि रिक्तता की तारीख/विज्ञापन की तारीख से संबंधित नियमों के तहत वरिष्ठता तय की जानी है।इस मामले में, उस तारीख को जब एन. आर. परमार 1 के मामले का निर्णय लिया गया था, ऐसा कोई नियम नहीं था जिसमें यह आवश्यक हो कि आयकर निरीक्षकों के पद पर सीधी भर्ती और पदोन्नति की अंतर-वरिष्ठता उस तारीख से तय की जानी चाहिए जिस दिन कोई व्यक्ति संवर्ग में पैदा हुआ है। मामले के तथ्यों में, एन. आर. परमार 1 के मामले में निर्णय के संदर्भ में 7 सितंबर 2016 को वरिष्ठता सूची सही ढंग से प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन प्रत्यक्ष भर्तियों को शामिल किया

गया था जो भर्ती वर्ष 2009-10 में पात्र थे और जिन्हें उक्त वर्ष की रिक्तियों के खिलाफ 53 पदोन्नतियों के साथ नियुक्त किया गया था, जिन्हें 29 जून 2009 को डी. पी. सी. द्वारा पदोन्नत किया गया था।वरिष्ठता सूची को बाद में 13 फरवरी 2018 को प्रभावित प्रत्यक्ष भर्तियों को सुने जाने का अवसर दिए बिना संशोधित किया गया था।

डी.

ई.

एफ.

जी.

34. इस स्तर पर, हम यहां प्रधान मुख्य के कार्यालय में आयकर उपायुक्त श्री अनुराग चंद्र द्वारा 12 अक्टूबर 2022 को दायर हलफनामे में बताए गए तथ्यात्मक पहलुओं पर ध्यान दे सकते हैं।

एच.

आयकर आयुक्त, गुजरात।हलफनामा एस. एल. पी. से उत्पन्न दीवानी अपील में 13 जुलाई 2018 के अंतरिम आदेश को संदर्भित करता है। (ग) 2018 का No.16161, जिसके द्वारा आयोजित पदों के संबंध में उस तारीख तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया था। हलफनामे में कहा गया है कि अंतरिम आदेश के परिणामस्वरूप, आयकर निरीक्षकों के संवर्ग से आयकर अधिकारियों के संवर्ग में पदोन्नति नहीं हो सकी।नतीजतन, आयकर अधिकारियों के संवर्ग में 33.33% पद खाली हैं क्योंकि उन्हें भरा नहीं जा सकता है।जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, K.Meghachandra 2 के मामले में निर्णय संभावित रूप से यानी 19 नवंबर 2019 से लागू होता है।प्रथम दृष्टया, एन. आर. परमार 1 के मामले में निर्णय के आधार पर तय की गई वरिष्ठता को प्रभावी बनाया जाना चाहिए।इसलिए, जब हम एक बड़ी पीठ को संदर्भित करने की सिफारिश कर रहे हैं, तो अंतरिम राहत को खाली करना होगा और वरिष्ठता को विवादित फैसले के आधार पर तय करना होगा, जो अपील के अंतिम परिणाम या मामले के अनुसार बड़ी पीठ के फैसले के अधीन होगा।

बी.

सी.

35. इसलिए, हम निम्नलिखित आदेश पारित करते हैंः

डी.

आई**.** हमारा विचार है कि निम्नलिखित प्रश्नों का निर्णय पाँच माननीय न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ द्वारा किए जाने की आवश्यकता हैःए। क्या के**.** मेघचंद्र **2** के मामले में निर्णय को मर्विन कोटिंडो **3** के मामले में संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून और समन्वय पीठ द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में एक बाध्यकारी मिसाल कहा जा सकता है।

ई.

एम. सुब्बा रेड्डी 6 का मामला?

बी। इसके विपरीत विशिष्ट वैधानिक नियमों के अभाव में, जब 'कोटा का आवर्तन' नियम लागू होता है, तो क्या संबंधित भर्ती वर्ष में शुरू हुई लेकिन उसके बाद समाप्त हुई भर्ती प्रक्रिया में भर्ती की गई सीधी भर्तियों की वरिष्ठता को उसी भर्ती वर्ष की सीधी भर्तियों के साथ अंतर करके 'कोटा का आवर्तन' का पालन करके तय किया जा सकता है, जिन्हें उसी वर्ष के दौरान पहले पदोन्नत किया गया था?

एफ.

जी.

ii.हम रजिस्ट्री को निर्देश देते हैं कि वह इस याचिका को उचित आदेशों के लिए भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखे।

iii.13 जुलाई 2018 को दी गई अंतरिम राहत खाली है।इस अपील या संदर्भ, जैसा भी मामला हो, के अंतिम परिणाम के अधीन रहते हुए विवादित निर्णय को प्रभाव दिया जाएगा।हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि पदोन्नति और प्रत्यक्ष भर्तियों की वरिष्ठता जो ए

एच.

971

हरिहरण एंड ओआरएस. वी.हर्ष वर्धन सिंह राव और ओआरएस। [अभय एस. ओकेए, जे.]

इसके बाद नियुक्त किया जा सकता है, इस अपील के निर्णय या संदर्भ में निर्णय के अंतिम परिणाम के अधीन होगा, जैसा भी मामला हो।तदनुसार, संबंधित व्यक्तियों को आयकर विभाग द्वारा लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।

36. 2022 की विशेष अनुमति याचिका (सी) डायरी No.12422 से उत्पन्न दीवानी अपील में, चुनौती पटना में उच्च न्यायालय द्वारा पारित 6 फरवरी 2018 के फैसले और आदेश को दी गई है, जो भर्ती वर्ष 2009-10 से संबंधित आयकर निरीक्षकों की नियुक्ति के मुद्दे से निपटने

वाले एन. आर. परमार 1 के मामले में निर्णय का अनुसरण करता है।इस अपील की सुनवाई मुख्य अपील के साथ की जानी चाहिए।

बी.

सी.

देविका गुजराल

निर्देश जारी किए गए।

(सहायता दीःश्री शुभांशु दास, एलसीआरए)

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.